पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

आपराधिक मामला (खंड पीठ) संख्या-168/2016

थाना-कांड संख्या 144-वर्ष-2008 थाना-बनियापुर जिला-सारण से उत्पन्न

==========

1. पुनीत नाथ सिंह उर्फ बुद्धा सिंह
2. सुकन सिंह,
3. मंगल सिंह, स्वर्गीय शोजी सिंह के सभी पुत्र, निवासी- गांव-हरपुर, थाना -बनियापुर, जिला-सारण के निवासी।

... ... अपीलार्थी

बनाम्

बिहार राज्य

... ... उत्तरदाता

==========

अपील *- दायर की गई जिसमें उस फैसले को चुनौती दी गई है, जिसके तहत अपीलकर्ताओं को भारतीय दंड संहिता की धारा 302/34 और 323/34 के तहत अपराधों के लिए दोषी ठहराया गया है।*

निर्णय *- पुलिस को जो पहली सूचना दी गई थी, वह अभियोजन पक्ष द्वारा रिकॉर्ड पर नहीं लाई गई। फर्दबयान केवल मृतक के निधन के बाद रिकॉर्ड किया गया और इसलिए, सूचनाकर्ता को आरोपियों को भूमि विवाद के कारण फंसाने का पर्याप्त समय मिला। यहाँ तक कि सूचनाकर्ता का खुद का कहना है कि दोनों पक्षों के बीच भूमि विवाद था और इसलिए भूमि विवाद के कारण आरोपियों को झूठा फंसाने की पूरी संभावना है। (पैरा 30)*

जिस डॉक्टर ने उसे इलाज दिया, उसे अभियोजन पक्ष द्वारा परखा नहीं गया। इसके अलावा, उस गवाह की चोट रिपोर्ट एक पुरोहित द्वारा प्रस्तुत की गई, जिसका डॉक्टर से कोई संबंध नहीं था। (पैरा 32)

यह सत्य है कि गवाहों के बयान को केवल इस आधार पर अस्वीकार नहीं किया जा सकता कि वे रिश्तेदार हैं। यदि उनका बयान प्रामाणिक माना जाता है, तो उसी पर भरोसा करते हुए दोषसिद्धि की जा सकती है। हालांकि, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, हमारा मानना है

कि तथाकथित घायल गवाहों के द्वारा दी गई गवाही में महत्वपूर्ण विरोधाभास, असंगतियां और विसंगतियां हैं। (पैरा 33)

घटना स्थल के संबंध में भी विसंगति है, साथ ही जाँच एजेंसी द्वारा की गई दोषपूर्ण जाँच भी है। (पैरा 36)

अपील स्वीकार की जाती है। (पैरा 40)

==========

पटना उच्च न्यायालय का निर्णय आदेश

==========

उपस्थितः

अपीलार्थियों के लिए	:	श्री बिंध्याचल सिंह, वरिष्ठ अधिवक्ता
	:	श्री विपिन कुमार सिंह, अधिवक्ता
	:	श्रीमती स्मृति सिंह, अधिवक्ता
	:	श्री कुमार अवनीश अंकित, अधिवक्ता
	:	श्रीमती स्वर्णिका सिंह, अधिवक्ता
	:	सुश्री निकिता मित्तल
प्रत्यर्थी की ओर से अधिवक्ता	:	श्री बिपिन कुमार, अ.लो.अ.

==========

कोरमः माननीय न्यायमूर्ति श्री विपुल एम. पंचोली

और

माननीय न्यायमूर्ति रमेश चंद मालवीय

मौखिक निर्णय

(प्रतिःमाननीय न्यायमूर्ति श्री विपुल एम. पंचोली)

तारीखः 09-07-2024

वर्तमान अपील दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा-374 (2) के तहत दायर की गई है (जिसे इसके बाद 'द.प्र.स.' के रूप में संदर्भित किया गया है) जिसमें 2009 के सत्र परीक्षण संख्या 298 में विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश-9, सारण, चापड़ा द्वारा पारित दिनांक – 29.01.2016 के फैसले और 04.02.2016 के सजा के आदेश को चुनौती दी गई है। 2008 के जी. आर. सं. 2462 के बनियापुर थाना मामला सं. 144/2008 से उद्भूत 2014 का 2469, जिसके तहत अपीलार्थियों को दंडनीय अपराधों के लिए दोषी ठहराया गया है । भारतीय दंड संहिता की धाराओं 302/34 और 323/34 (इसके बाद भा.द.स. के रूप में

संदर्भित) के तहत और आजीवन कारावास और 10000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई गई। आई. पी. सी. की धारा 302/34 के तहत दंडनीय अपराध के लिए प्रत्येक के लिए 10,000/- रुपये और जुर्माने के भुगतान में चूक करने पर, अपीलार्थी को छह महीने के लिए साधारण कारावास से गुजरना होगा। इसके अलावा, उन्हें भा.द.स. की धारा 323/34 के तहत दंडनीय अपराध के लिए छह महीने के लिए कठोर कारावास में गुजरना पड़ता है। दोनों सजाओं को एक साथ चलाने का निर्देश दिया गया है।

2. शुरुआत में, अपीलार्थियों के विद्वान वरिष्ठ वकील सूचित करते हैं कि अपीलार्थी नं 1 अर्थात्, पुनीत नाथ सिंह उर्फ बुद्धा सिंह की वर्तमान अपील के लंबित रहने के दौरान मृत्यु हो गई है।

3. इस प्रकार, अपीलार्थी सं.1 अर्थात्, पुनीत नाथ सिंह उर्फ बुद्ध सिंह के संबंध में अपील समाप्त हो जाती है।

4. याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील श्री विपिन कुमार सिंह और उत्तरदाता राज्य के विद्वान अ.लो.अ. श्री बिपिन कुमार की सहायता से विद्वान वरिष्ठ वकील श्री बिंध्याचल सिंह को सुना।

5. वर्तमान अपील दायर करने के लिए संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं -

"23.08.2008 पर, लगभग 04 बजे सूचना देने वाला अपने पिता और अपने भाई के साथ मक्के की फसल की कटाई कर रहा था, अपीलार्थी नं 1, अर्थात्, पुनीत नाथ सिंह उर्फ बुद्धा सिंह, अपीलार्थी सं 2, अर्थात्, सुकन सिंह, अपीलार्थी सं 3, मंगल सिंह और एक अन्य आरोपी, अमित सिंह, सभी *फरसा* और लोहे की छड़ी लेकर आए और गाली-गलौज करने लगे। इसके बाद उन पर हमला करना शुरू कर दिया। पुनीत नाथ सिंह ने मुखबिर के पिता पर *फरसा* से हमला किया जिससे वह घायल हो गए और उनके सिर से खून बह रहा था। इसके अलावा, अमित सिंह ने अपने भाई हरेंद्र सिंह के सिर पर *फरसा* द्वारा हमला किया और वह घायल हो गया। इसके अलावा, अपीलार्थी नं.2, अर्थात्, सुकन सिंह ने मुखबिर पर लोहे की छड़ी से हमला किया जिससे वह घायल हो गया और मंगल सिंह ने मुखबिर के पिता पर *फरसा* से हमला किया। इसके बाद सभी आरोपी फरार हो गए। इसके बाद, ग्रामीण आए और सभी घायलों को इलाज के लिए बनियापुर अस्पताल ले गए। मुखबिर के पिता को पटना भेजा गया, लेकिन रास्ते में ही उनकी मौत हो गई।

6. एफ. आई. आर. दाखिल करने के बाद, जांच एजेंसी ने जांच की और जांच के दौरान, जांच अधिकारी ने गवाहों के बयान दर्ज किए और संबंधित दस्तावेज एकत्र किए और उसके बाद आरोपी के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया। चूंकि मामला विशेष रूप से सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय था, इसलिए मामला सत्र न्यायालय में सत्र वाद सं 298/2009 नया 2469/2014 पंजीकृत किया गया था|

7. अपीलकर्ताओं के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री बिन्ध्याचल सिंह ने शुरू में कहा कि एफ.आई.आर. दर्ज करने में देरी हुई है और जो घटना लगभग 04:00 बजे शाम हुई, उसके लिए एफ.आई.आर. बनियापुर पुलिस स्टेशन में 11:00 बजे रात को दर्ज की गई। अपीलकर्ताओं के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने रिकॉर्ड से यह इंगित किया है कि अभियोजन पक्ष के मामले के अनुसार, अ.सा.-1 हरेंद्र सिंह, जो इस घटना में घायल हुए हैं, ने अपने बयान में विशेष रूप से कहा है कि जब वह बनियापुर अस्पताल पहुंचे, तो पुलिस ने उनका बयान दर्ज किया। उक्त गवाह ने आगे कहा है कि घटना के बाद, वह 20 मिनट के भीतर बनियापुर रेफरल अस्पताल पहुंच गया था। इस स्तर पर यह भी तर्क दिया गया है कि अ.सा.-2 ने जिरह के दौरान यह भी कहा है कि जब घायलों को कमांडर जीप में अस्पताल ले जाया गया तो वे पहले उस थाने में गए जहां सूचना दी गई थी क्योंकि थाना अस्पताल के रास्ते में था और उसके बाद घायलों को अस्पताल ले जाया गया। इस स्तर पर अभिलेख से यह भी इंगित किया गया है कि सूचक ने स्वयं न्यायालय के समक्ष यह बयान दिया है कि उसके पिता को पटना ले जाने से पहले संबंधित घटना के संबंध में थाने को सूचना दे दी गई थी। इसलिए विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने दलील दी कि सूचक और/या तथाकथित घायलों द्वारा पुलिस को दिया गया पहला बयान अभिलेख पर नहीं लाया गया और सूचक का *फर्दबयान* मृतक (सूचक के पिता) की मृत्यु के बाद दर्ज किया गया। इसलिए, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने तर्क दिया कि अभियोजन पक्ष द्वारा प्रथम कथन को दबा दिया गया था और अपीलकर्ताओं को भूमि के संबंध में पक्षों के बीच विवाद के कारण झूठा फंसाया गया है।

8. इसके बाद अपीलार्थियों के वरिष्ठ वकील ने तर्क दिया कि वास्तव में, सूचना देने वाला और दो अन्य तथाकथित घायल गवाह चश्मदीद गवाह नहीं हैं। यह प्रस्तुत किया जाता है कि यद्यपि अभियोजन पक्ष द्वारा यह अनुमान लगाया गया है कि विचाराधीन घटना में अ.सा.-1 (हरेंद्र सिंह) और अ.सा.-6 (जितेंद्र कुमार) को चोटें आईं और उन्हें इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर, जिन्होंने उक्त गवाहों का इलाज किया था, उनकी अभियोजन पक्ष द्वारा जांच नहीं की गई है और आश्चर्य की बात है कि चोट की रिपोर्ट

अ.सा.-10 (11) सोनू मिश्रा द्वारा अदालत के समक्ष पेश की गई थी, जिन्होंने खुद को *पुरोहित* घोषित किया है और उन्होंने कभी भी उस सरकारी अस्पताल में काम नहीं किया है जहां डॉ. कौशल किशोर सिन्हा काम कर रहे थे। यह प्रस्तुत किया जाता है कि चोट की रिपोर्ट की कार्बन प्रति प्रस्तुत की गई थी और उक्त गवाह ने कभी भी डॉक्टर के साथ काम नहीं किया था, जिसने चोट की रिपोर्ट जारी की थी। इस प्रकार, तथाकथित घायल गवाहों को लगी चोटों को विधिवत साबित नहीं किया गया था और इसलिए, उक्त गवाह संयोग से गवाह हैं और इसलिए, जब वे मृतक के करीबी रिश्तेदार हैं, तो बयान की बारीकी से जांच की जानी चाहिए और उक्त गवाहों के बयान पर भरोसा नहीं किया जा सकता है।

9. अपीलार्थियों के लिए विद्वान वरिष्ठ वकील आगे प्रस्तुत करते हैं कि अभियोजन पक्ष भी ठोस साक्ष्य का नेतृत्व करके घटना के स्थान को साबित करने में विफल रहा है और इसके संबंध में अभियोजन पक्ष के गवाहों द्वारा दिए गए बयान में विसंगति है। उक्त तर्क के समर्थन में, अपीलार्थियों के विद्वान वरिष्ठ वकील ने अ.सा.-6 और अ.सा.-7 द्वारा दिए गए बयानों का उल्लेख किया है। यह भी प्रस्तुत किया जाता है कि विचाराधीन भूमि में फसल की कटाई के संबंध में तथ्य के बारे में विरोधाभास हैं और इसलिए, अभियोजन पक्ष के गवाह भी चश्मदीद गवाह नहीं हैं।

10. अपीलार्थियों के वरिष्ठ वकील ने अंत में कहा कि विवादित भूमि के संबंध में भी विसंगति है। विद्वान वकील ने अ.सा.-1 द्वारा दिए गए बयान के पैराग्राफ 12, अ.सा.-6 द्वारा दिए गए बयान के पैराग्राफ 18 और अ.सा. 7 द्वारा दिए गए ब्यान के पैराग्राफ 12 का उल्लेख किया है। इसलिए, यह तर्क दिया जाता है कि भूमि के स्वामित्व के संबंध में अभियोजन पक्ष के गवाहों के अलग-अलग संस्करण हैं।

11. इसलिए, अपीलार्थियों के विद्वान वरिष्ठ वकील ने आग्रह किया कि घायल गवाहों द्वारा दिए गए बयान को विश्वसनीय नहीं कहा जा सकता है और इसलिए, विचारण न्यायालय ने उक्त गवाहों पर भरोसा करते हुए त्रुटि की है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि यद्यपि अभियोजन पक्ष अपीलार्थियों के खिलाफ मामले को उचित संदेह से परे साबित करने में विफल रहा है, लेकिन दोषसिद्धि और सजा के आदेश का विवादित निर्णय विचारण न्यायालय द्वारा अपीलार्थियों के खिलाफ पारित किया गया है और इसलिए, इसे निरस्त एवं अपास्त किया जा सकता है|

12. अपीलार्थियों के विद्वान वरिष्ठ वकील ने ***बिसुन्देव मिश्रा और 6 अन्य बनाम बिहार राज्य*** के मामले में इस न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय पर भरोसा किया है, जो ***1989 पीएलजेआर 405*** में प्रकाशित हुआ था ।

13. अपीलार्थियों के विद्वान वरिष्ठ वकील ने ***लल्लू मांझी अन्न बनाम झारखंड राज्य ने 2003 (2) एस. सी. सी. 401*** में रिपोर्ट किए गए मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय के पैरा 12 और 13 पर भी भरोसा किया है |

14. दूसरी ओर, विद्वान अभियोजक ने वर्तमान अपील का विरोध किया है। लर्नड एपीपी प्रस्तुत करता है कि दो घायल चश्मदीद गवाह हैं जिन्हें विचाराधीन घटना में चोटें आई हैं। चोट की रिपोर्ट को रिकॉर्ड में लाया गया है और इसलिए, घायल गवाहों द्वारा दिए गए बयान को खारिज नहीं किया जा सकता है। यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि मृतक के शव का *पोस्टमार्टम* करने वाले डॉक्टर ने भी अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन किया है और इसलिए, जब चिकित्सा साक्ष्य भी चश्मदीद गवाहों द्वारा दिए गए संस्करण का समर्थन करते हैं, तो निचली अदालत ने विवादित निर्णय और आदेश पारित करते समय कोई त्रुटि नहीं की है। इसलिए लर्नड एपीपी ने आग्रह किया कि वर्तमान अपील को खारिज कर दिया जाए।

15. हमने पक्षकारों के विद्वान वकीलों द्वारा प्रचार की गई दलीलों पर विचार किया है। हमने अभियोजन पक्ष के गवाहों के साक्ष्य का भी अध्ययन किया है और प्रदर्शित दस्तावेजी साक्ष्य का भी अध्ययन किया है।

16. इस स्तर पर, हम विचारण न्यायालय के समक्ष अभियोजन पक्ष के नेतृत्व में पूरे साक्ष्य के प्रासंगिक उद्धरण की सराहना करना चाहेंगे।

17. निचली अदालत के समक्ष अभियोजन पक्ष ने 11 गवाहों से पूछताछ की।

18. अ.सा.1(हरेंद्र सिंह) ने अपने मुख्य परीक्षा में कहा है कि घटना 23.08.2008 को लगभग 03.00 बजे हुआ| उन्होंने आगे कहा कि वह अपने पिता रामरित सिंह और भाई जितेंद्र कुमार सिंह के साथ मक्के की फसल की कटाई कर रहे थे। इसके बाद, सभी आरोपी लोग आए और, उनके पिता और उनके भाई पर हमला करने लगे। घटना के समय, ग्रामीण आए और घायल व्यक्तियों को अस्पताल ले गए जहाँ से उनके पिता को पी.एम.सी.एच के लिए रेफर कर दिया गया। लेकिन रास्ते में ही उनके पिता की मृत्यु हो गई। इसके अलावा, उन्होंने अपदस्थ कर दिया कि मक्के का खेत ज्ञानती कुँअर द्वारा बेचा

गया था, जो आरोपी की चाची हैं। उन्होंने आगे कहा कि जब वह बनियापुर अस्पताल पहुंचे तो पुलिस ने उनका बयान दर्ज किया।

18.1. अपनी जिरह में, अ.सा.-1 ने कहा है कि उसे सोनू जो पुनीत सिंह का बेटा है, के अपहरण के मामले के बारे में कोई जानकारी नहीं है| भागीरथ उनके चाचा हैं और जितेंद्र उनके अपने भाई हैं। उसने आगे कहा कि उसे अपने भाई जितेंद्र के खिलाफ अपहरण के मामले के बारे में कोई जानकारी नहीं है क्योंकि वह अलग रहता है। घटना से एक महीने पहले, 2008 के आषाढ़ महीने में भूमि का पंजीकरण किया गया था। इसके अलावा, जब उनके पिता रो रहे थे, तो ग्रामीण, अ.सा.-1 और उनके भाई आए और देखा कि उनके सिर से खून बह रहा था। इसके बाद, सभी घायलों को कमांडर वैन में अस्पताल ले जाया गया। बनियापुर पुलिस थाना अस्पताल के रास्ते में है। अ.सा.-1, उनके भाई और पिता का वहाँ इलाज किया गया था। यह आगे कहा गया है कि कोई बयान दर्ज नहीं किया गया था क्योंकि डॉक्टर ने उन्हें चापड़ा अस्पताल भेज दिया था। इसके अलावा, उन्होंने बयान दिया कि वह घटना के 20 मिनट बाद बनियापुर रेफरल अस्पताल पहुंचे। उसके भाई जितेंद्र का बयान बनियापुर पुलिस थाने में दर्ज किया गया। अ.सा.-1 बनियापुर प्रखंड में एक रोजगार सेवक है। वह आज छुट्टी लेकर जमा करने आया है। उन्होंने घटना के समय या घटना से पहले छुट्टी नहीं ली थी। घटना के अगले दिन अस्पताल में उनका बयान दर्ज किया गया। उन्होंने एक स्थानीय डॉक्टर प्रमोद कुमार के क्लीनिक में अपना हाथ प्लास्टर कराया और उन्हें नहीं पता कि एक्स-रे प्लेट की प्रति कहां रखी है।

19. अ.सा.-2 बागीरथ सिंह ने अपने मुख्य परीक्षा में कहा है कि यह घटना 23.08.2008 को लगभग 3 बजे में हुई| उसने अपदस्थ किया कि जब रामरित सिंह द्वारा मक्के की फसल काटी जा रही थी, जितेंद्र सिंह और हरेंद्र सिंह अपने ही खेत में थे, तो आरोपी पुनीत नाथ सिंह, मंगल सिंह, अमित सिंह और सुकन सिंह सभी हाथ में फरसा और लोहे की छड़ी लेकर आए और गाली-गलौज और हमला करने लगे। पुनीत नाथ सिंह ने रामरित सिंह पर फरसा से हमला किया जो उनके सिर पर लगा और खून बहने लगा। इसके अलावा, मंगल सिंह ने मृतक पर फरसा से हमला किया जो नीचे उसके बाएं गाल पर आँखों के निचे लगा। सुकन सिंह ने रामरित सिंह पर रॉड से हमला किया जो उनके शरीर पर लगा। अमित सिंह ने हरेंद्र सिंह पर फरसा से हमला किया जो उनके माथे पर लगा और खून बहने लगा। सुकन सिंह ने हरेंद्र के दाहिने हाथ पर हमला किया जिससे उनका हाथ टूट गया। इसके बाद, सुकन सिंह ने जितेंद्र सिंह पर लोहे की छड़ी से हमला किया जो नाक और अंगूठे

में लगी। इसके अलावा, उन्होंने बयान दिया कि सभी घायलों को बनियापुर अस्पताल ले जाया गया जहां डॉक्टर ने रामरित सिंह को छपरा अस्पताल रेफर कर दिया और उसके बाद उन्हें पी.एम.सी.एच, पटना रेफर कर दिया गया।

19.1. अपनी जिरह में उसने कहा है कि रामरित सिंह (मृतक) उसका अपना भाई है। उन्होंने अपदस्थ किया कि न तो उन्होंने अपने भाई को बचाने की कोशिश की और न ही उन्होंने अभियुक्तों को रोकने की कोशिश की क्योंकि वे फरसा और लोहे की छड़ी से लैस थे। सभी घायलों को कमांडर जीप में अस्पताल ले जाया गया। घायलों के अलावा कमांडर जीप में चार से पांच लोग मौजूद थे। पुलिस स्टेशन अस्पताल के रास्ते में स्थित है। उन्होंने आगे कहा कि घटना की जानकारी देने के बाद वे अस्पताल गए। पुलिस ने घटना के अगले दिन मैदान में उसका बयान दर्ज किया है। उन्होंने दारोगा जी को घटना का स्थान दिखाया।

20. अ.सा.-3 रमेश कुमार सिंह ने अपने मुख्य परीक्षा में कहा है कि यह घटना 23.08.2008 को करीब 03.00 बजे हुई थी| वह अपने पिता के साथ अपने मीठे आलू के खेत में काम कर रहे थे जो रामरित सिंह के खेत से सटा हुआ है। इसके अलावा, उन्होंने अपदस्थ कर दिया कि रामरित सिंह (मृतक) दरांती से मक्के की फसल की कटाई कर रहे थे और हरेंद्र और जितेंद्र के पास एक तेज दरांती भी थी। उन्होंने कहा है कि उनके पिता ने भी इस मामले में बयान दिया है। इसके अलावा, उन्होंने अपदस्थ किया कि उन्होंने यह नहीं देखा था कि कमांडर जीप पर खून पाया गया था या नहीं। इसके अलावा, रामरित सिंह (मृतक) के शव को बनियापुर पुलिस स्टेशन लाया गया, जिसकी अस्पताल ले जाते समय रास्ते में मौत हो गई थी। उन्हें फोन पर रामरित सिंह की मृत्यु की जानकारी मिली।

21. अ.सा.-4 सुमन प्रसाद ने अपने मुख्य परीक्षा में कहा है कि जाँच रिपोर्ट बनियापुर पुलिस स्टेशन में दोपहर 12:00 बजे तैयार की गई थी| उसे मोबाइल पर घटना की जानकारी मिली और वह 45-60 मिनटों के भीतर घटना स्थल पर पहुंच गया। इसके बाद, वह लगभग शाम 07:00 बजे बनियापुर पुलिस स्टेशन पहुंचे|

22. अ.सा.-5 भरत प्रसाद ने अपने मुख्य परीक्षा में कहा है कि उन्होंने उक्त जाँच रिपोर्ट पर हस्ताक्षर किए हैं। उसे अन्य लोगों से घटना की जानकारी मिली। उन्हें मृतक के पुत्र, अर्थात् जितेंद्र द्वारा 04:30 अपराह्न बजे रामरित की मृत्यु की जानकारी मिली| जब वे अस्पताल में पहुंचे उनके बहनोई (साधु) बेहोश हो गए थे।

23. जितेंद्र कुमार सिंह ने अपने मुख्य परीक्षा में कहा है कि यह घटना 23.08.2008 पर हुई थी। वे लगभग 3:00 अपराह्न बजे मक्के की फसल की कटाई कर रहे थे और घटना 04:00 अपराह्न बजे हुई| उन्होंने आगे कहा कि 04:00 अपराह्न से, सभी आरोपी, पुनीत नाथ सिंह, सुकन सिंह, मंगल सिंह और अमित सिंह, फरसा और लोहे की छड़ी से लैस होकर आए और गाली-गलौज करने लगे। पुनीत सिंह ने अपने पिता के सिर पर फरसा से हमला किया और मंगल सिंह ने फरसा से हमला किया जो बाएं गाल पर लगा और सुकन सिंह ने भी अपने पिता पर लोहे की छड़ी से हमला किया। इसके अलावा, अमित ने हरेंद्र के सिर पर फरसा से हमला किया, सुकन सिंह ने हरेंद्र पर रॉड से हमला किया जिससे उसका दाहिना हाथ टूट गया। सुकन ने अ.सा.-6 पर लोहे की छड़ी से हमला किया जिससे उसकी नाक, पैर और अंगूठे में चोट लग गई। उनके पिता को चापड़ा सदर अस्पताल ले जाया गया जहां से उन्हें पटना रेफर कर दिया गया। वह अपने पिता के साथ भी मौजूद थे। पटना जाते समय रास्ते में उनके पिता की मृत्यु हो गई। इसके बाद मृतक के शव को बनियापुर पुलिस स्टेशन लाया गया जहां *फरदबेयान* दर्ज किया गया। मक्के का खेत ज्ञानती कौर द्वारा बेचा गया था, जो आरोपी की सहायक है। सोनू कुमार अपीलार्थी नं.1 पुनीत नाथ सिंह के पुत्र हैं। उन्होंने सोनू कुमार को 4-5 महीने पहले गाँव में देखा था। उनके पास सोनू कुमार के छचाचा के खिलाफ उसके अपहरण के मामले के संबंध में कोई जानकारी नहीं है जो बनियापुर पुलिस स्टेशन में लंबित था। घटना के बाद वह बनियापुर अस्पताल गए| बनियापुर पुलिस थाना बनियापुर अस्पताल के रास्ते में है। कमांडर जीप में मौजूद व्यक्तियों की संख्या के बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं है। यह भी कहा जाता है कि उसने अपने पिता को पटना ले जाने से पहले पुलिस को घटना की जानकारी दी थी। जमीन, मक्के के पत्ते और घास पर खून गिरा हुआ था। एक हाथ के दायरे में जमीन पर खून गिर गया था। कटी हुई फसल के ढेर पर खून नहीं था। उन्होंने आगे कहा कि घटना के बाद उनके पिता को सीधे अस्पताल ले जाया गया। बिस्तर पर पूछताछ रिपोर्ट तैयार की गई थी। उन्होंने दारोगाजी को घटना का स्थान और रक्त दिखाया था। दारोगाजी ने पत्ते और मिट्टी पर खून के धब्बों को नहीं इकठ्ठा किया। विवादित भूमि का पंजीकरण तीन महीने पहले *आषाढ़* महीने में किया गया था। उनके पास उक्त भूमि के संबंध में मामले की कोई जानकारी नहीं है जो उप-न्यायाधीश, छपरा के न्यायालय में लंबित है। उनके पास इस बात की कोई जानकारी नहीं है कि क्या उन्होंने 2008 के विभाजन मामले संख्या 67 में पक्ष जोड़ने के लिए आवेदन दिया था। उन्होंने अपने पिता की मृत्यु से पहले प्राथमिकी दर्ज करने के संबंध में किसी वरिष्ठ अधिकारी से शिकायत नहीं की थी। उन्होंने आगे कहा कि शिव नारायण सिंह स्थानीय

डॉक्टर हैं। डॉ. शिव नारायण सिंह से उनका इलाज नहीं हुआ। उन्हें याद नहीं है कि वे अपने पिता और भाई के साथ छपड़ा अस्पताल गए थे। इसके अलावा, उसके पिता बेहोश थे। हरेंद्र घायल हो गया था और वह होश में था। उनके पास इस बात का कोई दस्तावेजी सबूत नहीं है कि उनके पिता को बेहोशी की हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उनकी मां भी अपने पिता के साथ बनियापुर अस्पताल में मौजूद थीं।

24. उपेंद्र कुमार ने अपने मुख्य परीक्षा में कहा है कि 23.08.2008 पर उन्हें बनियापुर पुलिस स्टेशन के थानाप्रभारी के रूप में तैनात किया गया था। उस तारीख को उन्होंने पुलिस स्टेशन में जितेंद्र सिंह का बयान दर्ज किया था और उसी पर छापा मारा था (प्रदर्शनी-3)। उसी दिन उन्होंने रामरित सिंह के शव का निरीक्षण किया और कार्बन प्रक्रिया के माध्यम से जांच रिपोर्ट तैयार की। उन्होंने उसी (प्रदर्शनी-4) की पहचान की है। इसके बाद उन्होंने शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल, छपरा भेज दिया। इसके बाद उन्होंने घटना स्थल का दौरा किया जो कि गांव हरपुर में मृतक रामरित सिंह का मक्के का खेत है जिसमें मक्के की फसल खड़ी थी और वहां कटाई की गई फसलों के कुछ ढेर थे। उन्हें मक्के की पत्तियों और घास पर भी खून मिला। उन्होंने घटना स्थल की सीमा दी है और कहा है कि विवादित भूमि लगभग एक चौथाई से तीन कठ्ठा है। उन्होंने घटनास्थल से खून से लथपथ मिट्टी और घास एकत्र की। इसके बाद उन्होंने बयान दर्ज किए। इसके बाद उन्होंने हरेंद्र सिंह, भरत प्रसाद, सुमन प्रसाद, सत्यनारायण प्रसाद, भागीरथ सिंह, रमेश सिंह और जनक ठाकुर के ब्यान दर्ज किए । उन्होंने मृतक रामरित सिंह की मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट प्राप्त की। उन्हें बनियापुर अस्पताल से घायल जितेंद्र सिंह और हरेंद्र कुमार सिंह की चोटों की रिपोर्ट भी मिली। उन्होंने चोट की रिपोर्ट की सत्यापित फोटोकॉपी पेश की थी और उन्होंने डॉक्टर से मूल चोट की रिपोर्ट प्राप्त करने के लिए पत्राचार नहीं किया था।

24.1. अपनी जिरह में, उन्होंने कहा है कि उन्होंने भूमि की खाता संख्या और भूखंड संख्या को नोट नहीं किया था और न ही उन्होंने इसका कोई रेखाचित्र मानचित्र तैयार किया था। केस डायरी में खून से सना मिट्टी और घास का कोई उल्लेख नहीं है। उन्होंने आस-पास के भूखंडों के मालिकों, रामजीत सिंह, सुग्रीव सिंह, कमला सिंह, पत्थर शाह और राजनारायण के बयान दर्ज नहीं किए थे। उन्होंने यह भी कहा है कि उन्होंने खून से सने मक्के के पत्ते जब्त नहीं किए थे। स्टेशन डायरी में इस बात का कोई उल्लेख नहीं है कि घायल रामरित सिंह, हरेंद्र सिंह, जितेंद्र सिंह इलाज के लिए बनियापुर रेफरल अस्पताल आए थे और उन्हें एस. आई. रामदेव सिंह द्वारा चोट की रिपोर्ट जारी की गई थी। केस डायरी के

पैराग्राफ-38 में उन्होंने दर्ज किया है कि विवादित भूमि अभियुक्त व्यक्तियों के कब्जे में थी और उनके द्वारा खेती की जा रही थी। उन्होंने केस डायरी में दर्ज करने से इनकार किया है। जाँच के दौरान, उसने खून से सने कपड़े या चादर *(लीवा)* देखी थी। पैराग्राफ-14 में उन्होंने इस बात से इनकार किया है कि हरेंद्र सिंह ने उन्हें बताया था कि अमित कुमार सिंह ने भी उनके पिता पर फरसा से हमला किया था। बल्कि हरेंद्र सिंह ने कहा था कि पुनीतनाथ सिंह ने उनके पिता के सिर पर फरसा से हमला किया था। भागीरथ सिंह ने यह नहीं कहा था कि पुनीतनाथ सिंह, मंगल सिंह, अमित सिंह के हाथ में फरसा था और सुकन सिंह के पास लोहे की छड़ी थी और वे मौके पर आए और मक्के की फसल की कटाई करने से मना कर दिया। भागीरथ सिंह ने उन्हें यह नहीं बताया था कि पुनीतनाथ सिंह ने रामरित पर सिर पर फरसा लगाकर हमला किया था, जिससे फ्रैक्चर हो गया था। उन्होंने गवाहों द्वारा दिए गए बयानों का भी विवरण दिया है।

25. अ.सा.-8 डॉ. विजय कुमार ने अपने मुख्य परीक्षण में कहा है कि 24.08.2008 पर उन्हें सदर अस्पताल छपरा के चिकित्सा कार्यालय में तैनात किया गया था। उस तारीख को 08:40 बजे सुबह, उन्होंने थाना-बनियापुर जिला सारण के हरपुर में 52 वर्षीय मृतक रामजीत सिंह पुत्र रामसिंगर सिंह के शव की मृत्यु समीक्षा जांच की और उन्हें निम्नलिखित एंटीमॉर्टम चोटें मिलीं।

I. हड्डी की गहराई तक 2 "x1/2" x के आकार के बाएँ पेरीटो ओसीपीटल क्षेत्र पर तेज काटने की चोटें।

II. माथे के बाईं ओर बाल रेखा के नीचे 1/2 "x 1/6" मांसपेशियों की गहराई में तेज कटा हुआ घाव।

III. गाल के बाईं ओर 1/2 "x1/6" x मांसपेशियों की गहराई में तेज काटने का घाव।

IV. बाईं आंख की सूजन और काली आंख का आकार 4 "x 2.1/2 "

V. पश्चवर्ती क्षेत्र 1-1/2 "x1/2" x मांसपेशियों के गहरे घाव।

VI. बायीं हथेली पर तेज काटने का घाव 1/2"x1/6 "x मांसपेशी गहरी।

<u>विच्छेदन पर</u>

बाएँ पेरीटो ओसीपीटल क्षेत्र में फ्रैक्चर और रक्त का थक्का मौजूद होना।

बायीं दूसरी और तीसरी मेटा कार्पल हड्डी में फ्रैक्चर। उन्होंने राय दी है कि मौत का कारण फरसा, लोहे की छड़ी जैसे तेज काटने वाले हथियार के कारण होने वाला रक्तस्राव और सदमा है। मृत्यु का समय 12 से 18 घंटे बीत जाता है।

उन्होंने पहचान की है कि पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट उनकी कलम और हस्ताक्षर में है और इसे प्रदर्श-5 के रूप में चिह्नित किया गया है ।

25.1.अपनी जिरह में उन्होंने कहा है कि उनके सामने कोई एक्स-रे रिपोर्ट नहीं थी। कठोर मृत्यु आधार है, यह छाती और पेट में मौजूद था। कॉलम के अभाव में, उन्होंने कठोर मृत्यु का उल्लेख नहीं किया है। उन्हें चौथी श्रेणी के सहायक द्वारा सहायता प्रदान की गई थी, इसलिए नाम और हस्ताक्षर नहीं उल्लेख किया है। चोट 1 और 2 कठोर और कुंद पदार्थ से संभव है । यह कहना गलत है कि रिपोर्ट मिली-जुली है।

26. अ.सा.-9 (हरीश ओझा) ने घटना के बारे में कुछ भी नहीं कहा है। उनका बयान विवादित भूमि की रजिस्ट्री तक ही सीमित है ।

27. अ.सा.-9 (10) काशीनाथ सिंह एक औपचारिक गवाह हैं। उन्होंने केवल प्रदर्श-7 की पहचान की है जिसे उन्होंने टाइप किया था और जिस पर अधिवक्ता ब्रजेश कुमार सिंह के हस्ताक्षर हैं।

28. अ.सा.-10 (11) सोनू मिश्रा भी एक औपचारिक गवाह है। उन्होंने घायल जितेंद्र सिंह और हरेंद्र सिंह का इलाज करने वाले डॉ. कौशल किशोर सिन्हा की लिखावट और हस्ताक्षर की पहचान की है और उनकी चोट की रिपोर्ट तैयार की है।

29. हमने पक्षकारों के विद्वान वकीलों द्वारा प्रचार की गई दलीलों पर विचार किया है। हमने निचली अदालत के समक्ष अभियोजन पक्ष के नेतृत्व में पूरे साक्ष्य की फिर से सराहना की है और प्रदर्शित दस्तावेजी साक्ष्य का भी अध्ययन किया है।

30. यह *प्रथम दृष्टया* इस साक्ष्य से सामने आता है कि मुखबिर (अ.सा.-6) का *फरदबेयन* 23.08.2008 को 11:00 बजे रात में बनियापुर पुलिस स्टेशन दर्ज किया गया था| उक्त फरदबेयान में, सूचना देने वाले ने उस घटना का वर्णन किया है जो लगभग 04:00 बजे अपराह्न हुई थी| यदि उक्त *फरदबेयान* की सावधानीपूर्वक जांच की जाती है, तो यह पता

चलता है की मुखबिर (मृतक) के पिता, खुद मुखबिर और अ.सा.-1 (हरेंद्र सिंह) को चोटें आईं और इसलिए, सभी घायल व्यक्तियों को बनियापुर अस्पताल ले जाया गया जहां प्राथमिक उपचार दिया गया और मुखबिर के पिता और भाई को छपरा सदर अस्पताल ले जाया गया। इसके बाद, मुखबिर के पिता को आगे के इलाज के लिए पटना मेडिकल कॉलेज और अस्पताल भेजा गया। लेकिन जब उन्हें एम्बुलेंस से पटना मेडिकल कॉलेज ले जाया जा रहा था, रास्ते में उनकी मौत हो गई। *फरदबेयान* में दिखाई गई घटना का कारण सूचना देने वाले के पिता द्वारा मुसमात जानती कौर से खरीदी गई *3 कट्टा* जमीन है। जिसमें वे मक्के की खेती करते थे। इस प्रकार, उपरोक्त *फरदबेयान* से यह कहा जा सकता है कि सूचना देने वाला (अ.सा.-6) और उसका भाई, अर्थात् हरेंद्र सिंह (अ.सा.-1) घायल गवाहों के रूप में दिखाए गए हैं । हालाँकि, यह ध्यान देने योग्य है कि अ.सा.-1 ने अपने बयान में पैराग्राफ *7* में विशेष रूप से कहा है कि जब वह बनियापुर अस्पताल पहुंचे, तो उनका बयान पुलिस द्वारा दर्ज किया गया था। इसके अलावा, अ.सा.-4, सुमन प्रसाद द्वारा दिए गए बयान से यह पता चलता है कि उक्त गवाह को जानकारी मिली थी कि झगड़ा हुआ था और कुछ लोगों को चोटें आई थीं, इसलिए वह घटना स्थल पर पहुंचा और उसके बाद वह 07:00 अपराह्न बजे बनियापुर पुलिस स्टेशन पहुंचा| अ.सा.-6 (मुखबिर) द्वारा दिए गए बयान से पता चलता है कि पैराग्राफ-12 में उसने विशेष रूप से कहा है कि उसके पिता को पटना ले जाने से पहले घटना के संबंध में पुलिस स्टेशन को जानकारी दी गई थी। इस स्तर पर, यह याद रखना आवश्यक है कि *फरदबेयान* सूचना देने वाले के पिता की मृत्यु के बाद बनियापुर पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया था। हालाँकि, अभियोजन पक्ष के गवाहों द्वारा दिए गए बयान से यह स्पष्ट है कि घायलों को अस्पताल ले जाने से पहले वे बनियापुर पुलिस स्टेशन गए और उसके बाद उन्हें बनियापुर अस्पताल ले जाया गया। बनियापुर अस्पताल में भी अ.सा.-1 (घायल) का बयान दर्ज किया गया। इसके बाद भी, अ.सा.-6 (मुखबिर) के बयान के अनुसार, जब उनके पिता को छपरा सदर अस्पताल से पटना भेजा गया था, तो पुलिस स्टेशन को जानकारी दी गई थी। हालाँकि, पुलिस को जो पहली जानकारी दी गई थी, उसे अभियोजन पक्ष द्वारा रिकॉर्ड में नहीं लाया गया है। *फरदबेयान* को मृतक की मृत्यु के बाद ही दर्ज किया गया था और इसलिए, सूचना देने वाले के लिए भूमि विवाद के कारण आरोपी को फंसाने के लिए पर्याप्त समय उपलब्ध था। यहां तक कि यह स्वयं सूचना देने वाले का कहना है कि पक्षों के बीच भूमि विवाद था और इसलिए, भूमि विवाद के कारण अभियुक्त के झूठे निहितार्थ की सभी संभावनाएं हैं।

31. अभियोजन पक्ष ने अ.सा.-1 और अ.सा.-6 को घायल चश्मदीद गवाहों के रूप में पेश किया है। आमतौर पर, घायल गवाहों द्वारा दिए गए कथन पर बिना किसी पुष्टि के विश्वास किया जा सकता है और केवल इसलिए कि गवाह मृतक के करीबी रिश्तेदार हैं, यदि गवाह भरोसेमंद हैं, तो बयान को खारिज नहीं किया जा सकता है। वर्तमान मामले में अ.सा.-1 और अ.सा.-6 मृतक के बेटे हैं। यह मुखबिर का कथन है कि अ.सा.-1 (हरेंद्र सिंह), जो उसका भाई है, इस घटना में घायल हो गया है। हालाँकि, यह ध्यान रखना प्रासंगिक है कि उक्त गवाह ने पैराग्राफ-17 में कहा है कि वह पंचायत (बनियापुर ब्लॉक) में एक *रोजगार सेवक* के रूप में काम कर रहा है। वह छुट्टी लेने के बाद बयान देने के लिए अदालत में आया था। उन्होंने आगे कहा है कि घटना की तारीख या उससे पहले, उन्होंने कभी भी कोई आकस्मिक छुट्टी नहीं ली थी।

32. इस स्तर पर, यह भी ध्यान देने योग्य है कि हालांकि अ.सा.-1 को बनियापुर अस्पताल और उसके बाद छपड़ा अस्पताल ले जाया गया था, लेकिन जिस डॉक्टर ने उसका इलाज किया था, उसकी अभियोजन पक्ष द्वारा जांच नहीं की गई है। इसके अलावा, उक्त गवाह की चोट रिपोर्ट आश्चर्यजनक रूप से एक *पुरोहित* द्वारा प्रस्तुत की गई थी, जिसे डॉ. कौशल किशोर सिन्हा से कोई लेना-देना नहीं है, जो उस समय बनियापुर पीएचसी में काम कर रहे थे। उक्त गवाह ने कभी भी सरकारी न ही उनकी उपस्थिति में चोट की रिपोर्ट तैयार की गई थी और न ही उक्त गवाह ने डॉक्टर के साथ काम किया है, जिन्होंने चोट की रिपोर्ट जारी की थी।

33. इसलिए, हमारा विचार है कि इस प्रकार की चोट रिपोर्ट पर भरोसा नहीं किया जा सकता है जो अभियोजन पक्ष द्वारा विधिवत साबित नहीं की गई है। इसी तरह, अ.सा.-6 (मुखबिर) की चोट रिपोर्ट भी विधिवत साबित नहीं हुई है और डॉक्टर, जिन्होंने अ.सा.-6 का इलाज किया था, की भी अभियोजन पक्ष द्वारा जांच नहीं की जाती है और इसलिए बचाव पक्ष द्वारा संदेह जताया जाता है कि उपरोक्त गवाह वास्तव में घायल गवाह नहीं हैं और घटना के समय उनकी उपस्थिति स्वाभाविक नहीं थी। इस प्रकार, उपरोक्त गवाह संयोग गवाह हैं। इसके अलावा, जैसा कि ऊपर देखा गया है, उपरोक्त दोनों गवाह मृतक के पुत्र हैं। इसका मतलब है कि वे रिश्तेदार और इच्छुक गवाह हैं और इसलिए, उपरोक्त गवाहों द्वारा दिए गए बयान की बारीकी से जांच की जानी चाहिए। यह सच है कि उनके संस्करण को केवल इसलिए खारिज नहीं किया जा सकता क्योंकि वे रिश्तेदार हैं। यदि उनके बयान को उत्कृष्ट गुणवत्ता का माना जाता है, तो उक्त बयान के आधार पर दोषसिद्धि दर्ज की जा सकती

है। हालाँकि, जैसा कि यहाँ ऊपर देखा गया है, हमारा विचार है कि तथाकथित घायल चश्मदीद गवाहों द्वारा दिए गए बयान में बड़े विरोधाभास, असंगतियाँ और विसंगतियाँ हैं।

34. इस स्तर पर, यह ध्यान रखना भी प्रासंगिक है कि विचाराधीन भूमि में कटाई के तथ्य के संबंध में विसंगतियां और विरोधाभास हैं और यहां तक कि भूमि के स्वामित्व के संबंध में भी विवाद है। अभियोजन पक्ष के गवाहों द्वारा दिए गए बयान से घटना स्थल के संबंध में भी संदेह पैदा होता है। हम अ.सा. 6 के ब्यान के पैराग्राफ न० 14 और 16 पढ़े हैं और अ.सा.-7 द्वारा दिए गए बयान के पैराग्राफ 4,8,9 और 10 को भी पढ़ा । इस स्तर पर, यह ध्यान रखना प्रासंगिक है कि अ.सा.-7, अर्थात् उपेंद्र कुमार जाँच अधिकारी हैं, जिन्होंने जाँच की है।

35. **लल्लू मांझी और अन्न बनाम झारखंड राज्य** के मामले में जो **2003 (2) एस. सी. सी. 401** में सूचित किया गया है , माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पैराग्राफ संख्या 12 और 13 में कहा हैः

> *"**12.** घटना का एक और बहुत ही भौतिक पहलू है और हम यह देखने से नहीं रोक सकते कि मामले की जांच बहुत दोषपूर्ण रही है। जाँच अधिकारी ने घटना स्थल की कोई स्थल योजना तैयार नहीं की। रक्तरंजित मिट्टी के नमूने रासायनिक जांच के लिए नहीं भेजे गए थे। अपराध के किसी भी हथियार को बरामद करने और जब्त करने के लिए कोई प्रयास नहीं किया गया है। घटना के समय घटनास्थल के पास मौजूद रहने वाले इलाके के किसी भी गवाह से पूछताछ नहीं की गई है। यह खेती का समय था और खेतों की जुताई में व्यस्त कृषक या मजदूर पड़ोस में मौजूद रहे होंगे। भूमि के पड़ोसी टुकड़े के लिए संदर्भित गवाह विवादग्रस्त भूमि पर अधिकार के प्रश्न और प्रकृति के बारे में गवाही दे सकते थे; कि क्या इसकी खेती पहले की गई थी और यदि ऐसा है तो किसके द्वारा-क्या शिकायतकर्ता पक्ष या आरोपी व्यक्ति। गाँव के पटवाड़ी और चौकीदार सबसे अधिक भौतिक गवाह रहे होंगे। उनसे पूछताछ और राजस्व दस्तावेजों में प्रविष्टियों के संग्रह से पता चला होगा*

कि घटना से पहले भूमि पर वास्तव में किसका कब्जा था। अदालत को यह अनुमान लगाने में संदेह रह गया है कि क्या यह शिकायतकर्ता पक्ष था जो अभियुक्त व्यक्तियों द्वारा अवैध रूप से बाधित भूमि पर कब्जा कर रहा था या क्या अभियुक्त व्यक्तियों के पास उस भूमि का कब्जा था जिस पर मृतक और उसके भाई मन्नू (अ.सा. 9) द्वारा अतिक्रमण करने की मांग की गई थी और अतिक्रमण के प्रयास को आरोपी व्यक्तियों द्वारा रोकने और पहले से खाली करने की मांग की गई थी।

13. *इसलिए, यह स्पष्ट है कि घटना की उत्पत्ति या मूल कारण ज्ञात नहीं है। घटना की तारीख से तुरंत पहले विवाद में भूमि पर कब्जे के तथ्य के बारे में सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न का निर्धारण नहीं किया जा सकता है और उस संबंध में कोई विशिष्ट निष्कर्ष निकाला गया है। एकमात्र प्रत्यक्षदर्शी, जो मृतक के साथ अपने संबंधों के कारण एक इच्छुक गवाह भी है और आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ शत्रुतापूर्ण तरीके से निपटा दिया गया है, द्वारा दी गई घटना का संस्करण अत्यधिक अतिरंजित है और चिकित्सा साक्ष्य द्वारा पूरी तरह से पुष्टि नहीं की गई है। घटना का संस्करण जैसा कि न्यायालय में दिया गया है, काफी हद तक पहले के संस्करण से अलग है जैसा कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में निहित और उपलब्ध है। इसलिए हम सभी अभियुक्त व्यक्तियों की दोषसिद्धि दर्ज करने के उद्देश्य से मन्नू (अ.सा.9) की एकमात्र गवाही पर भरोसा नहीं कर सकते। "*

36. इस प्रकार, उपरोक्त चर्चा से यह पता चलता है कि सूचना देने वाले/तथाकथित घायल गवाह का पहला संस्करण रिकॉर्ड पर नहीं लाया गया है और मृतक (सूचना देने वाले के पिता) की मृत्यु के बाद ही सूचना देने वाले ने अपना *फरदबेयान* दिया है। इसके अलावा, अ.सा.-1 और अ.सा.-6, जो मृतक के बेटे हैं और चश्मदीद गवाह के रूप में पेश किए गए हैं, अभियोजन पक्ष द्वारा डॉक्टर की किसी भी जांच के अभाव में, जिसने उक्त गवाहों का इलाज किया है और चोट की रिपोर्ट साबित न करने के अभाव में घटना के समय और स्थान पर तथाकथित गवाहों की उपस्थिति भी

संदिग्ध थी। इसके अलावा, अभियोजन पक्ष के गवाहों के बयान में बड़े विरोधाभास और विसंगतियां हैं। यहां तक कि घटना स्थल के संबंध में भी विसंगति है, जो जांच एजेंसी द्वारा की गई दोषपूर्ण जांच के साथ है।

37. हमारा विचार है कि अभियोजन पक्ष अभियुक्तों/अपीलार्थियों के खिलाफ मामले को साबित करने में विफल रहा है। इसके अलावा, अपीलकर्ताओं द्वारा एक विशिष्ट बचाव किया गया है कि पक्षों के बीच भूमि विवाद के कारण उन्हें गलत तरीके से फंसाया गया है।

38. इस प्रकार, जब अभियोजन पक्ष अपीलार्थियों के खिलाफ मामले को उचित संदेह से परे साबित करने में विफल रहा है, तो निचली अदालत ने विवादित निर्णय और आदेश पारित करते समय गंभीर त्रुटि की है और उन्हें दरकिनार करने की आवश्यकता है।

39. तदनुसार, उन्हें रद्द कर दिया जाता है।

40. अपील स्वीकृत किया जाता है |

40.1. दोनों याचिकाकर्ता जमानत पर हैं। उन्हें उनके जमानत-बांड की देनदारियों से मुक्त कर दिया जाता है ।

(विपुल एम. पंचोली, न्यायमूर्ति)

(रमेश चंद मालवीय, न्यायमूर्ति)

गौरव कुमार/जीकेएस -

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नही किया जा सकता । समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।